14 शहरी विकास (Urban Development)

शहरी विकास (Urban Development)

नगरीकरण (Urbanization) आर्थिक विकास तथा प्रगति का एक प्रमुख घटक है। भारत में नगरीकरण को टाला नहीं जा सकता है। अगले कुछ दशकों में 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रहने लगेगी। अभी शहरों में लगभग 31.2 प्रतिशत आबादी रह रही है। हाल के दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिली है। बड़े शहरों में ज्यादा लोग आ रहे हैं तथा विभिन्न राज्यों और शहरों में शहरीकरण के तरीकों में भिन्नताएं हैं।

शहर अर्थव्यवस्था (Urban Economy) में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और बदले में उन्हें बेहतर बुनियादी ढाँचा तथा सार्वजनिक सेवाएँ मिलती हैं। शहरों की उभरती आर्थिक महत्ता स्पष्ट है क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनका 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। शहरों की राजनीतिक महत्ता देखते हुए सामाजिक, आर्थिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से बुनियादी ढाँचे तथा सेवाओं के प्रावधान की अति आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में 74वें संशोधन (1992) के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय व प्रभावशाली भागीदारी बनाने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से नगर निकायों (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायतों) में शहरी लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई, उनके हित व विकास संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। 74वें संविधान संशोधन ने आम जन समुदाय की भागीदारी को स्थानीय स्वशासन में सुनिश्चित किया है। नगरीय निकायों को मिले अधिकारों व दायित्वों में महत्वपूर्ण बात यह है कि योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का दायित्व नगरीय निकायों को होगा, यहाँ तक कि केन्द्र व राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन भी नगर निकायों के माध्यम से किया जायेगा।

अत: नगरों की उचित व्यवस्था एवं नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सात बड़े शहरों के सैटेलाइट टाउन में शहरी अवस्थापन हेतु योजना (Plan for Urban Settlement in Satellite Town of Seven Big Cities)

शहरी विकास मंत्रालय ने सात बड़े शहरों में शहरी अवस्थापना के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

1. सात बड़े शहरों में सैटेलाइट टाउन/ काउंटर मैग्नेट टाउनों में शहरी अवस्थापना सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, सीवरेज, जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि का विकास करना एवं उनके भावी विकास को सुनिश्चित करना ताकि बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सके।
2. सुधारों जैसे ई-गवर्नेंस, संपत्ति कर, दोहरी लेखा प्रविष्टि, (Double Accounting Entry) बाधामुक्त वातावरण का निर्माण, राष्ट्रीय भवन कोड के अनुपालन में संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों (Structural Safety Criteria), जल एवं ऊर्जा, अपशिष्ट जल का उपयोग और सेवा स्तर यानी बैंचमार्कों का कार्यान्वयन करना।
3. सुधारों के कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण जैसे उचित उपभोक्ता प्रभार का अधिभार, आधारभूत सुविधाओं हेतु बजट का निर्धारण एवं शहरी गरीबों के लिए आवासी स्थल का कम से कम 10-15 प्रतिशत आपदा प्रबंधन (Disaster Management) हेतु प्रावधानों को शामिल करने के लिए-उपनियम तैयार करना, जल पुनर्भरण, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग एवं सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

उपरोक्त योजना सैटेलाइट टाउन का शहरी सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। प्रथम चरण में सात महानगर शामिल होने हैं। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सहायता एवं योजना के अंतर्गत चिह्नित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता का प्रावधान है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (National Rural Health Mission)

1. 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM-National Rural Health Mission) प्रारम्भ किया गया था।

   इसकी मूल अवधि 2012 तक थी जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए बढ़ा दिया गया।
2. देश के शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM - National Urban Health Mission) तैयार किया गया, जिसे 11वीं योजनावधि के दौरान ही प्रारम्भ किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं हो सका था।

3. 15 अगस्त, 2012 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM - National Health Mission) स्थापित किए जाने की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत NRHM और NUHM दोनों उप-मिशनों के रूप में शामिल होने थे।
4. 1 मई, 2013 को मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नए उप-मिशन के रूप में 12वीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रारम्भ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं:-
   - प्रत्येक 50 से 60 हजार जनसंख्या पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (U-PHC)।
   - बड़े शहरों में 5 से 6 U-PHCs पर एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (U-CHC)।
   - प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के लिए एक प्रसूति सहायिका (ANM - Auxiliary Nursing Midwifery)।
   - प्रत्येक 200 से 500 परिवारों के लिए एक 'आशा' (ASHA - Accredited Social Health Activist, Community Link Worker)।
6. 5 वर्षों की अवधि के लिए NUHM की कुल अनुमानित लागत 22,507 करोड़ रुपये हैं जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 16,955 करोड़ रुपये हैं।

इस योजना के लिए केन्द्र और राज्यों का वित्तीय भागीदारी पैटर्न उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 90:10 तथा शेष राज्यों के लिए 75:25 अनुपात में है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana)

स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साहन अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था की मार्फत शहरी बेरोजगारों (Urban Unemployed) व अल्प-बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार दिलाने के उद्देश्य से 01/12/1997 को भारत सरकार ने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना नामक एक नवीन शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस योजना में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ (UBSP), नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) नामक पिछली तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को मिला लिया गया था।

शहरी गरीबों के हालातों में सुधार हेतु योजना का मूल्यांकन करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 2006 में (एसजेएसआरवाई) का सतत रूप से मूल्यांकन किया गया था। राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य सहयोगियों से प्राप्त फीडबैक तथा क्रियान्वयन के निष्कर्षों की अद्यतन रिपोर्टों के आधार पर एसजेएसआरवाई योजना के मार्ग-निर्देशों में वर्ष 2009-10 से संशोधन किया गया है।

नई संशोधित एसजेएसआरवाई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1. शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प बेरोजगार गरीबों को उनकी निरन्तर सहायता करने के साथ अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने के द्वारा उन्हें स्व-रोजगार उद्यमों (व्यक्तिगत अथवा समूह) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करते हुए लाभदायक रोजगार प्रदान करने के द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन (Poverty Eradication) पर कार्रवाई करना।
2. क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहयोग करना ताकि शहरी गरीब, बाजार द्वारा खोले गए रोजगार के अवसरों तक पहुँच बनाने अथवा स्व-रोजगार खोलने में समर्थ हो सकें।
3. आस-पड़ोस समूहों (एनएचजी), आस-पड़ोस की समितियों (एनएचसी), आदि जैसी समुचित स्व-व्यवस्थित सामुदायिक पद्धतियों के माध्यम से शहरी गरीबी के मुद्दों को हल करने के लिए समुदाय को सशक्त बनाना।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) (National Urban Livelihoods Mission)

1. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' (SJSRY-1 दिसम्बर, 1997 में प्रारम्भ) को प्रतिस्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM - National Urban Livelihoods Mission) प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है।

   NULM शहरी गरीबी से संबंधित प्राथमिक मुद्दों यथा-कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास (Entrepreneurship Development) तथा शहरी गरीबों को मजदूरी रोजगार एवं स्व-रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
2. NULM के तहत दो नई योजनाएँ शहरी स्ट्रीट वेंडरों के समर्थन हेतु योजना एवं शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करने की योजना भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
3. NULM दो चरणों में कार्यान्वित होगा-प्रथम चरण (2013-17) तथा द्वितीय चरण (2017-22)।

शहरी आवास (Urban Housing)

आवास राज्य सूची का विषय है, लेकिन सामाजिक आवास योजनाएँ और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाओं से संबंधित नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने और उससे संबंधित कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करने, विभिन्न योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, आवास, भवन सामग्री और तकनीक संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने और उनका प्रसार और भवन निर्माण की कीमतों को कम करने के लिए अपनाए गए आम उपायों और तरीकों को तैयार करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

भारतीय संविधान के संघीय ढाँचे के अंतर्गत, आवास एवं शहरी विकास से संबंधित कार्य राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान के 74वें संशोधन में इन कार्यों को स्थानीय शहरी निकायों को सौंपा गया है। हालांकि यह अनिवार्य रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों की सहायता एवं निगरानी करने के साथ-साथ समन्वय स्थापित करती है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस / एलआईजी आवास (EWS / LIG Housing in Urban Areas)

सरकार शहरी नवीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम और शहरों और कस्बों में आवासों में व्यापक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबके लिए आवास में शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास जैसी मदें है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय वर्गो के लिए आवास की समस्याओं से निपटने के लिए शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी आवासीय मदों को शामिल किया गया है।

शहरी आवासों की कमी 2012-17 पर रिपोर्ट (Report on Urban Housing Short - 2012-17)

1. केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. अमिताभ कुंडू (Dr. Amitabh Kundu) की अध्यक्षता में 12वीं योजनावधि (2012-17) के दौरान शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी के आकलन हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था।
2. कुंडू समिति ने अपनी रिपोर्ट में आवास क्षेत्र (Housing Sector) को अवसंरचना क्षेत्र का भाग बनाने अथवा उद्योग की श्रेणी में इसे रखने की अनुशंसा की है।
3. कुंडू समिति द्वारा प्रस्तुत शहरी आवासों की कमी (2012-17) पर रिपोर्ट के अनुसार 12वीं योजना के प्रारम्भ में (मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार) देश में कुल 18.78 मिलियन आवासों की कमी थी।

   11वीं योजना के प्रारम्भ में यह कमी 24.71 मिलियन की थी।
4. इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में आवासों की सर्वाधिक कमी वाले राज्य क्रमशः हैं:- उत्तर प्रदेश > महाराष्ट्र > प. बंगाल > आंध्र प्रदेश > तमिलनाडु > बिहार > राजस्थान।

   इस सात राज्यों में ही देश में शहरी आवासों की कुल कमी का लगभग 60 प्रतिशत भाग है।
5. आर्थिक श्रेणियों के सन्दर्भ में सर्वाधिक कमी ई.डब्ल्यू.एस. (Economically Weaker Sections) श्रेणी के मकानों की थी (10.55 मिलियन; कुल कमी का 56.2 प्रतिशत भाग)।

   आवासों की कुल कमी में एल.आई.जी. (Lower Income Group) श्रेणी में मकानों की कमी 39.5 प्रतिशत (7.41 मिलियन) तथा एम.आई.जी. या उच्च श्रेणी में यह कमी 4.3 प्रतिशत (0.82 मिलियन थी)।

शहरी परिवहन (Urban Transport)

शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरों के आकार में भी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण यात्रा की मांग बढ़ी है। सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान न देने के कारण व्यक्तिगत गाड़ियों के प्रयोग ने जाम, वायु प्रदूषण, दुर्घटनाओं की अधिक संख्या के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि की है। शहरी क्षेत्रों में आवागमन के सुधार से आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation), पैदल चलने तथा अन्य गैर मशीनीकृत साधनों की महत्ता में उल्लेखनीय सुधार की जरूरत है। आवागमन में इस प्रकार के सुधार का शहरी गरीबों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे रोजगार के अवसरों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच सरल हो जाती है। शहरी नियोजन (Urban Planning) के लिए यह बहुत जरूरी है कि परिवहन के साधनों तथा यातायात संचालन के लिए समुचित नीति बनाई जाए। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की है। नीति का मुख्य जोर 'लोगों को चलाओ, गाड़ियों को नहीं' पर है। यह नीति समन्वित भूमि प्रयोग तथा परिवहन नियोजन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार, गैर मशीनीकृत परिवहन के तरीकों को प्रोत्साहन तथा पर्याप्त पार्किंग स्थल और शहरी परिवहन नियोजन में क्षमता निर्माण के लिए उपायों के समग्र सेट पर जोर देती है। इस समय दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद तथा कोलकाता

(पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरीडोर) लखनऊ जयपुर में मुख्य मेट्रो रेल परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। अन्य शहरों में भी मेट्रो परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

शहरी आधारतंत्र के विकास में संलग्न संस्थाएँ (Institutions Involved in Urban Infrastructure Development)

1. ***राष्ट्रीय भवन संगठन (National Building Organization):-*** आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है जो आवास एवं भवन निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचना के एकत्रीकरण, तालिकाकरण एवं प्रसार के लिए देश में शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय भवन संगठन को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने JNNURM के अन्तर्गत शहरी गरीबी को बुनियादी सेवायें (BSUP) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति, निगरानी एवं समीक्षा के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया है।
2. ***आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड:-*** HUDCO, 1970 में अपनी स्थापना के प्रारम्भ से ही आवासीय और शहरी विकास के तकनीकी वित्तीय क्षेत्र में सतत कार्यरत है और इसका आदर्श वाक्य 'सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता' है।
3. ***हिन्दुस्तान प्री फैब लिमिटेड (Hindustan Pree Feb Limited):-*** 1948 से पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गयी थी। हिन्दुस्तान प्री फैब लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य भारत में फ्री फैब तकनीक को प्रोत्साहित करते हुए बेहतरीन गुणवत्ता वाली आवासीय परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना था।
4. ***भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकीय संवर्धन परिषद् (Building Materials and Technological Upgrading Council):-*** भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकीय संवर्धन परिषद् आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत संस्था है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह विगत 18 वर्षों से ऊर्जा सक्षम पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों में संलग्न है। अपनी स्थापना के बाद से यह परिषद् प्रभावी लागत, सक्षम-ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल (Environmental Adaptation) तथा आपदा प्रतिरोधी भवन-निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करती रही है।
5. ***नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (National Co-operative Housing Federation of India):-*** इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सहकारिता (Co-operation) आवास को बढ़ावा देना है।
6. ***शहरी यातायात संस्थान (Urban Transport Institute):-*** इस संस्थान की स्थापना शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1997 में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में की गयी। इसका उद्देश्य यातायात सम्बन्धी आधुनिकतम तकनीक को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने तथा समन्वय करने के साथ-साथ योजना, विकास, प्रचालन, शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रबंधन आदि भी है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (National Urban Transport Policy)

तीव्र आर्थिक समृद्धि के साथ शहरी क्षेत्रों में परिवहन-व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को लागू किया गया। इस नीति के तहत शहरों को अधिक व्यवस्थित बनाने की रणनीति को आगे बढ़ाया गया है जिससे हमारे शहर अधिक जीवन्त तथा विश्वस्तरीय हो सकें। सामाजिक तथा आर्थिक सुव्यवस्था के लिए शहरीकरण की अवसंरचना (Infrastructure) का विकास योजनाबद्ध किया जाना महत्वपूर्ण है। इस नीति के उद्देश्य निम्न हैं:-

1. सुरक्षित, आरामदायक, तीव्र तथा सतत विकास की ओर शहरों को ले जाना।
2. रोजगार, शिक्षा तथा सुविधाओं में वृद्धि करना।
3. वाणिज्य-व्यापार के लिए बाजारों की सुविधा का विस्तार।
4. इन्टेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत मेट्रो, मोनो रेल, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गति प्रदान करना।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (Rashtriy Shari Swachhata Niti)

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति को भारत सरकार ने 3 अक्टूबर, 2008 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य भारत में शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देना है। सभी भारतीय शहर पूर्णत: स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य हों तथा नागरिकों को जनस्वास्थ्य सुविधाएँ (Public Health Facilities) प्रदान करने के लिए स्वच्छता सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहरों को जागरूक, स्वस्थ तथा रहने योग्य बनाने के लिए इस नीति में कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ये हैं:–

1. जागरूकता का सृजन तथा व्यवहार में बदलाव।
2. खुले शौच रहित शहर के लक्ष्य को हासिल करना।
3. एकीकृत शहरव्यापी स्वच्छता व्यवस्था।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana)

लॉन्च (Launch):

इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' (IAY) को 01 अप्रैल, 2016 से 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

उद्देश्य (Objective):

1. मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं (Basic Facilities) के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
2. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी (Beneficiary):

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक।

लाभार्थियों का चयन (Selection of Beneficiaries):

तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और भू-टैगिंग।

लागत साझा करना (Cost Sharing):

यूनिट सहायता की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।

विशेषताएँ:

1. स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) तक बढ़ा दिया गया है।
2. मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है।
3. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये सहायता का लाभ उठाया जाएगा।
4. पाइप से पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन जैसे विभिन्न सरकारी सुविधाओं के अभिसरण का भी प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojan-Urban)

- 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है।
- ***कार्यान्वयन:*** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

विशेषताएँ:

1. यह शहरी गरीबों (झुग्गीवासी सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्के घर सुनिश्चित करता है।
2. इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है (जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र (Notified Planning), विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है)।
3. PMAY(U) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
4. यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देती है।

5. विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।

चार कार्यक्षेत्रों में विभाजित:

1. निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले मौजूदा झुग्गीवासियों का इन-सीटू (उसी स्थान पर) पुनर्वास किया जाएगा।
2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
3. साझेदारी में किफायती आवास।
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण/मरम्मत के लिये सब्सिडी।

स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission)

25 जून 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ एक शहरी विकास कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शहरों को स्मार्ट बनाना है।

स्मार्ट सिटीज का अर्थ (Meaning of Smart City)

1. स्मार्ट सिटीज अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं जीवन को बेहतर बनाने के सर्वाधिक व्यापक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
2. वे अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों डिजिटल एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं नीति परिवर्तन का उपयोग करते हैं।
3. स्मार्ट सिटीज मिशन के दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य आधारिक संरचना प्रदान करते हैं एवं अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन, एक स्वच्छ एवं सतत वातावरण तथा 'स्मार्ट' समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।
4. सतत एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं विचार सुसम्बद्ध (कॉम्पैक्ट) क्षेत्रों को देखने, एक प्रतिकृति मॉडल बनाने का है जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेगा।

स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना एवं स्थानीय क्षेत्र के विकास को सक्षम करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) में सुधार करना तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, विशेष रूप से वह प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों की ओर ले जाती है।

स्मार्ट सिटीज मिशन: आधारिक संरचनागत तत्व (Smart Cities Mission : Basic Structural Elements)

1. पर्याप्त जल आपूर्ति,
2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति,
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता,
4. कुशल शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन,
5. किफायती आवास, विशेष रूप से निर्धन वर्गों हेतु,
6. मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अनुयोजकता एवं डिजिटलाइजेशन,
7. सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस एवं नागरिक भागीदारी,
8. सतत पर्यावरण (Sustainable Environment),
9. नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की निरापदता एवं सुरक्षा, तथा
10. स्वास्थ्य एवं शिक्षा।

आच्छादन एवं अवधि (Coverage and Duration)

1. मिशन 100 शहरों को आच्छादित करेगा एवं इसकी अवधि पाँच वर्ष (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) होगी।
2. प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में कितने स्मार्ट शहर हैं?
3. एक समान मानदंड के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य कुल 100 स्मार्ट शहरों का वितरण किया गया है।
4. सूत्र राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की शहरी आबादी एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों (Statutory Towns) की संख्या को समान महत्व (50 : 50) प्रदान करता है।
5. इस फॉर्मूले के आधार पर, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में निश्चित संख्या में संभावित स्मार्ट शहर होंगे, जिनमें प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम एक स्मार्ट शहर होगा।
6. अमृत योजना के लिए समान सूत्र का प्रयोग किया गया है।

स्मार्ट शहरों का वित्तपोषण (Financing of Smart Cities)

1. स्मार्ट सिटी मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जाएगा एवं केंद्र सरकार ने मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, अर्थात प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
2. राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक समान राशि (मिलान के आधार पर) का योगदान करना होगा; अत:, स्मार्ट

शहरों के विकास के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी/ शहरी स्थानीय निकाय निधि उपलब्ध होगी।

मिशन स्मार्ट सिटी की प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges of Smart City)

1. राज्य और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में महत्त्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी होगी।
2. इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एवं निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता मिशन की सफलता का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण कारक होगा।
3. नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वालों एवं अन्य हितधारकों (Stakeholders) द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेट्रोफिटिंग की अवधारणाओं को समझना, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायता की जरूरत होगी।
4. पूर्व योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में प्रमुख निवेश करना होगा।
5. स्मार्ट सिटी मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।
6. नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी (Formal Participation) की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी को सूचना तकनीक के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से एसपीवी द्वारा सक्रिय किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी और नया शहरी एजेंडा (Smart City and New Urban Agenda)

1. 'स्मार्ट सिटी' की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है, जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। इस मिशन में शहरों के मार्गदर्शन करने के लिये कुछ पारिभाषिक सीमाएँ अपेक्षित हैं।
2. भारत में किसी भी शहर निवासी की कल्पना में, स्मार्ट शहर तस्वीर में ऐसी अवसंरचना एवं सेवाओं की अभीष्ट सूची होती है, जो उसकी आकांक्षा के स्तर को वर्णित करती है। स्मार्ट सिटी अवधारणा, जहाँ नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिये, शहरी योजनाकार को आदर्श के तौर पर पूरे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का विकास करना होता है, वहीं नया शहरी एजेंडा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को समाहित किये हुए है।
3. बेशक स्मार्ट सिटी का विचार ई-गवर्नेंस की अवधारणा को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास है। पूर्णतः स्मार्ट सिटी हो जाने पर स्मार्ट सिटी के निवासियों की अधिकांश समस्याएँ स्वतः ही हल हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी बनने की आवश्यक शर्तों में ई-गवर्नेंस तो है ही, लेकिन यह एक धुरी मात्र है, जिस पर शेष सेवाएँ आधारित हैं। स्मार्ट सिटी के महाअभियान में जनसाधारण को शामिल किये बिना स्मार्ट सिटी का सपना पूरा नहीं हो सकता। स्मार्ट सिटी वस्तुतः एक ऐसा शहर होता है, जो सतत आर्थिक विकास व उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करता है तथा अर्थव्यवस्था, परिवहन, पर्यावरण, जीवन स्तर और सरकारी सेवाओं की सर्वोच्च श्रेष्ठता पर फोकस करता है। अतः स्मार्ट सिटी मिशन और नए शहरी एजेंडे का मिलन भारत में शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान बन सकता है।

अटल मिशन (AMRUT 2.0)

- ***अमृत मिशन के बारे में (About AMRUT Mission):***
  - अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये जून 2015 में शुरू किया गया था।
  - अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 ULB (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है।
  - इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है।
- ***अमृत मिशन का उद्देश्य:***
  - यह पानी की जरूरत को पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवंत करने, जलभृतों का बेहतर प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिये अमृत मिशन की प्रगति सुनिश्चित करेगा, जिससे पानी की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा।
  - उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों की कुल पानी की जरूरत का 20% तथा

औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने की उम्मीद है। मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिये स्वच्छ जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा।

- जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल (Sewage Water) के पुन: उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण का पता लगाने के लिये शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा।

- ***अमृत मिशन के पहले चरण का प्रदर्शन:***
  - अमृत मिशन के तहत शहरों में 1.14 करोड़ नल कनेक्शन के साथ कुल 4.14 करोड़ कनेक्शन किये गए हैं।
  - 470 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है। इनमें से 164 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग (IGR) प्राप्त हुई है, जिसमें 36 शहर A- या उससे ऊपर की रेटिंग वाले हैं।
  - 10 ULB ने म्युनिसिपल बॉण्ड के जरिये 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली को 455 अमृत शहरों सहित 2,471 शहरों में लागू किया गया है।
  - इस सुधार से वर्ष 2018 की विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) की भारतीय रैंकिंग 181 रैंक से वर्ष 2020 में 27 हो गई।
  - 89 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है, जिससे प्रतिवर्ष 195 करोड़ यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत और CO_2 उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 15.6 लाख टन की कमी आई है।

✪✪✪✪✪